

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक(कक्ष-विकास), मध्यप्रदेश
द्वितीय तल, ए-ब्लॉक, वन भवन, तुलसी नगर, लिंक रोड-2, भोपाल-462003
apccfdev@mp.gov.in

भोपाल, दिनांक 7-11-23

क्रमांक/एफ-2/2023-24/10-3/2896

प्रति,

1. समस्त मुख्य वन संरक्षक
क्षेत्रीय म०प्र०
2. समस्त वन मंडलाधिकारी क्षेत्रीय, म०प्र०

वित्तीय वर्ष
2024-25 में चंदन
रोपण हेतु निर्देश।

विषय:-वर्ष 2024-25 में चंदन रोपण के संबंध में ।
00

विषयांकित के संबंध में लेख है कि आपके वन वृत्तों के अंतर्गत कुछ वनमंडलों में वर्ष 2024-25 में चंदन रोपण का कार्य किया जाना है। इस कार्य के सम्पादन हेतु मुख्य निर्देश निम्नानुसार है:-

1. कार्य का विवरण -

- 1.1 क्षेत्र का चैनलिंग फेंसिंग के साथ लकड़ी के खम्भे/बांस पोलस से घेराव किया जाएगा।
- 1.2 चंदन रोपण हेतु स्थल में जल भराव नहीं होना चाहिये मुरमुरी, रेतीली व बालू मिट्टी वाला क्षेत्र चंदन रोपण के लिये उपयुक्त है।
- 1.3 क्षेत्र में 3mt X 3mt के अन्तराल में स्थानीय स्थिति के अनुसार नरम मिट्टी में 30 cm X 30cm X 30cm अथवा कड़ी मिट्टी में 45 cm X 45cm X 45cm के गढ़वे खोदे जायेंगे।
- 1.4 गढ़वों में 250 ग्राम वर्मी कम्पोस्ट, 2 किलोग्राम सड़ी खाद (FYM), 100 ग्राम नीम केक एवं बाकी गढ़वों से निकली हुई मिट्टी डाली जायेगी। द्वितीय निदाई के साथ 50 ग्राम DAP खाद डाली जावेगी। आगामी वर्षों में आवश्यकतानुसार खाद का प्रयोग किया जावेगा।
- 1.5 चूँकि चंदन के पौधे प्रारंभिक तीन-चार साल Partial root Parasite होते हैं अतः इसके होस्ट प्लांट हेतु अरहर व तुलसी दोनों को गढ़वों से 6"-7" की दूरी पर रोपित किया जाएगा अर्थात् चंदन के पौधे के एक तरफ 7" की दूरी पर अरहर व दूसरी तरफ तुलसी के पौधे रोपे जाएंगे।
- 1.6 कीटों का प्रकोप होने पर क्लोरोपाइरिफॉस का उपयोग करना है। यदि फफूंद का प्रकोप हो रहा है तो DithaneM-45/नीला थोथा एवं घूने के मिश्रण का उपयोग किया जाएगा।
- 1.7 संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के सहयोग से कार्य सम्पादन व क्षेत्र की सुरक्षा की जायेगी।

2. प्राक्कलन एवं तकनीकी स्वीकृति-उपरोक्त कंडिका -1 में दर्शाए गये कार्यों को समाहित करते हुये क्षेत्र का सात वर्षीय परियोजना प्राक्कलन (Project Estimate) तैयार करके तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने हेतु वर्षवार उपलब्ध राशि का विवरण नीचे तालिका में वर्णित है। इस राशि की सीमा के अंतर्गत स्थलवार प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जाए। सक्षम

अ.प्र.मु.व.सं. (शुचना प्रौद्योगिकी)
मध्य प्रदेश, भोपाल

10/11/23

10 upload on
network
14/11/23

10

(2)
अधिकारी से तकनीकी स्वीकृति जारी होने के पश्चात ही कार्य कराए जाएंगे। फेंसिंग हेतु कय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता एवं भंडार कय नियम का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

विवरण	प्रथम वर्ष (क्षेत्र तैयारी)	द्वितीय वर्ष रोपण	तृतीय वर्ष रखरखाव	चतुर्थ वर्ष रखरखाव	पंचम वर्ष रखरखाव	षष्ठम वर्ष रखरखाव	सप्तम वर्ष रखरखाव	योग
प्रति हे० राशि (रु०)	280.89 मानव दिवस	84.26 मानव दिवस	50.56 मानव दिवस	23.87 मानव दिवस	15.44 मानव दिवस	14.04 मानव दिवस	14.04 मानव दिवस	483.10 मानव दिवस

* अप्रैल 2024 में प्रचलित मजदूरी दरों के अनुसार राशि का आवंटन किया जायेगा।

* प्रथम वर्ष में सूक्ष्म प्रबंधन योजना तैयार करने की राशि सम्मिलित है।

* पौधों की कीमत उपरोक्त तालिका में सम्मिलित नहीं है।

* यह दर अधिकतम है। चंदन वृक्षारोपण क्षेत्र का आंकलन लगाए गए पौधों की संख्या के आधार पर होगा अर्थात् 1100 पौधों का एक हेक्टेयर माना जावेगा।

उदाहरण स्वरूप यदि 10 हेक्टेयर Gross क्षेत्र में कुल 8800 पौधा लगाए गए हैं तो उसे 8 हेक्टेयर (नेट) मानकर दर निर्धारित होगी।

3. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन-विभागीय निर्देशों के अनुसार क्षेत्र का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कराया जाएगा। सभी स्थलों को आवश्यक रूप से विभागीय वृक्षारोपण मॉनिटरिंग सिस्टम एवं ई-ग्रीन वॉच पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा। कटबैक, बीज बुवाई एवं प्राकृतिक पुनरुत्पादन के फलस्वरूप प्राप्त पौधों के परिणाम का आकलन करने के लिये सर्वेक्षण किया जाएगा। परिणामों के आकलन करने के लिये कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व बैचमार्किंग (Benchmarking) हेतु चयनित क्षेत्र में पुनरुत्पादन एवं वन संनिधि का सर्वेक्षण किया जाएगा।

कृपया उपरोक्त निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में कार्य कराया जाना सुनिश्चित करें।

R. Gupta
3/11/23

(रमेश कुमार गुप्ता)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख

मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7-11-23

पृ०क्रमांक/एफ-2/2023-24/10-3/2897

प्रतिलिपि:-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, कैम्पा म०प्र० भोपाल।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान विस्तार एवं लोकवार्निकी, म०प्र० भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. समस्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. समस्त मुख्य वन संरक्षक सामाजिक वार्निकी वृत्त की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
5. वरिष्ठ निज सहायक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख म० प्र० भोपाल की ओर सूचनार्थ।

R. Gupta

(रमेश कुमार गुप्ता)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख

मध्यप्रदेश, भोपाल